

सीआइएसएफ के जवान अब पा सकेंगे मनपसंद पोस्टिंग

नई दिल्ली, प्रेटर: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने सोमवार को अपने कर्मियों के लिए "बेहतर कार्य-जीवन संतुलन" सुनिश्चित करने के लिए नई तबादला नीति की घोषणा की है। अर्धसैनिक बल के 1.70 लाख कार्यबल में से 98 प्रतिशत से अधिक को इसका लाभ मिलेगा। अब वह अपनी पसंद की पोस्टिंग ले सकेंगे। यही नहीं, अगर सीआइएसएफ में पति-पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं तो उन्हें अलग-अलग पोस्टिंग ना देकर उनकी सुविधानुसार एक जगह ही पोस्टिंग दी जाएगी। दो साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी मनपसंद या वरीयता पोस्टिंग मिलेगी। यह नीति यह 2017 की नीति का स्थान लेगी और इसका उद्देश्य कर्मियों को ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल से लैस करना है, ताकि वे उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना कर सकें।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिरीक्षक जनरल केसी समंतराय ने कहा कि 31 दिसंबर से लागू होने वाली यह नीति कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के गैर-राजपत्रित अधिकारियों (एनजीओ) के लिए

महिलाओं और कार्यरत जोड़ों को भी प्राथमिकता

सीआइएसएफ में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी महिला कर्मियों के लिए कार्य एवं जीवन संतुलन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो अकेले अपने परिवार का प्रबंधन करती हैं। नान-च्वाइस पोस्टिंग के छह साल बाद उनकी बची हुई सेवा में मनपसंद तैनाती होती। तबादले के दौरान उन्हें रिक्तियों के आवंटन में दूसरी प्राथमिकता मिलेगी। विवाहित कामकाजी जोड़ों को तबादले की रिक्तियों में तीसरी प्राथमिकता मिलेगी।

है, क्योंकि इन रैंकों में इस मुद्दे से संबंधित शिकायतें अधिक हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले बल सदस्यों के लिए तबादला आदेश प्रत्येक 31 दिसंबर से पहले जारी किया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए 15 जनवरी तक, जोड़ों के लिए 31 जनवरी तक एवं अन्य कर्मचारियों के लिए 15 फरवरी तक तबादला आदेश जारी किए जाएंगे।